कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मुजफ्फरपुर।

परिवाद संख्या– 131 / 15 तिथि–23.09.2015

चन्देश्वर दास बनाम अन्य (भूताने, बोचहाँ)

उपस्थित –श्री रमेन्द्र नाथ राय (लोकपाल)

निर्णय

परिवादी श्री चन्देश्वर दास, द्वारा दिनांक 06.06.2015 को एक परिवाद दायर की गयी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत राज–भूताने में जो भी काम होता है वह ठीकेदार के अनुसार होता है या मशीनों के द्वारा होता है। साथ ही इन्होंने वर्ष 2014 से लेकर 2015 तक का बेरोजगारी भत्ता दिलवाने का अनुरोध किया है। इसके आलोक में पंचायत रोजगार सेवक, भूताने एवं कार्यक्रम पदाधिकारी, बोचहाँ को नोटिस की गयी।

कार्यक्रम पदाधिकारी, बोचहाँ द्वारा पत्रांक–138 दिनांक–08.07.2015 द्वारा एक प्रतिवेदन समर्पित की गयी है। इसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि परिवादी श्री चन्देश्वर दास द्वारा मनरेगा कार्यालय में आकर पंचायत तकनीकी सहायक, श्री युगेश्वर पासवान से मुलाकात किया गया। श्री पासवान द्वारा अंकित किया गया है कि प्रत्येक पंचायत से जॉब कार्डधारियों का एकाउण्ट फ्रीजिंग हेतु खाता संख्या एकत्रित किया जा रहा था। पंचायत रोजगार सेवकों के हड़ताल पर चले जाने के कारण जॉब कार्डधारी मजदूरों से सीधा संपर्क कर खाता संख्या एकत्रित किया जा रहा था। इस दौरान ग्राम पंचायत राज–भूताने के श्री चन्देश्वर दास से सम्पर्क हुआ और श्री दास से उनका खाता संख्या मांगा गया। श्री दास द्वारा स्वयं एवं पाँच अन्य व्यक्तियों का खाता संख्या मुझे प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने न तो कार्य का मांग किया, न कोई आवेदन दिया और न ही अन्य कोई कागजात।

पुनः कार्यक्रम पदाधिकारी, बोचहाँ द्वारा एक अन्य प्रतिवेदन पत्रांक–163 दिनांक–03.09.2015 द्वारा समर्पित किया गया। इसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि परिवादी द्वारा ग्राम पंचायत राज–भूताने में चिह्नित की गयी योजना जिसमें उनके द्वारा ठीकेदार एवं मशीन प्रयोग की बात कही गयी थी, का कार्यान्वयन मनरेगा द्वारा नहीं की गयी है। इस योजना की जाँच मेरे द्वारा की गयी तथा पाया गया कि परिवादी द्वारा चिह्नित योजना "नदी के किनारे की पी.सी.सी. ढ़लाई का कार्य" मनरेगा से नहीं किया गया है। इस बात की पुष्टि स्वयं परिवादी एवं कनीय अभियंता द्वारा भी की गयी है। इस संबंध में परिवादी एवं कनीय अभियंता द्वारा दी गयी अभ्यावेदन संलग्न की गयी है।

–: विचारणीय बिन्दु :–

क्या परिवादी के लगाए गए आरोप की भूताने में मनरेगा का काम ठीकेदार या मशीन से होता है, सिद्ध होता है?

–: निष्कर्ष :–

चूँकि परिवादी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि अभ्यावेदन में दिया गया योजना का काम जो पी.सी.सी. ढ़लाई का है उसका ताल्लुक मनरेगा योजना से नहीं है। साक्ष्य के आलोक में इन्हें कोई बेरोजगारी भत्ता भी देय नहीं है। अतः इसको खारिज किया जा सकता है।

–: आदेश :–

उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में इस वाद को खारिज किया जाता है।

ह/०

लोकपाल (मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 113 / मुज0,दिनांक– 23/09/2015

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वय, मुज0 को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति को जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि :– संबंधित आवेदक को सूचनार्थ प्रेषित।

रमेन्द्र नाथ राय
23.9.15
लोकपाल (मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

D/Damodar/Lokpal app/DRDA